भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक 7536-दस-65-दिनांक 26-6-1965 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संख्या 16 सन् 1927) की धारा 76 के खण्ड (घ) सहपठित धारा 60-क की उपधारा (3) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन निम्न नियम बनाता है । अर्थात्-

1. इन नियमों में ' 'अधिनियम" का अभिप्राय है भारतीय बन अधिनियम 1927 (संख्या 16 सन् 1927) ।

2. अधिनियम की धारा 80-क के अधीन बन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति आदेश की सूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि में अपील कर सकता है ।

3. (1) प्रत्येक अपील-

(क) लिखित में होगी ।

(ख) अपीलार्थी का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगी ।

(ग) उस आदेश का जिसके विरुद्ध वह की जा रही है दिनांक विनिर्दिष्ट करेगी ।

(घ) व ह दिनांक विनिर्दिष्ट करेगी जिस दिन अपीलार्थी को आदेश की सूचना दी गई ।

(ड) तथ्यों का स्पष्ट विवरण शामिल करेगी ।

(च) लगातार कम में उन आधारों को बिनिर्दिष्ट करेगा जिन पर कि अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु उसमें तर्कों या वृतान्तों का उल्लेख नहीं होगा ।

(छ) चाहे गये अनुतोष का सूक्ष्मत: उल्लेख किया जायेगा, और

(ज) अपीलार्थी या उसके द्वारा लिखित में इस हेतु सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और निम्न प्रारूप में सत्यापित होगा अर्थात्-

"मैं... ... ... उक्त अपील के ज्ञापन में नाम दिया गया अपीलार्थी यह घोषित करता हूँ कि इसमें जो कहा गया है वह मेरे ज्ञान और विश्वास से सही है ।

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जायेगी इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । नब तक कि अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय प्राधिकरण भी यह समाधान न कर दे कि चूक के लिये उचित कारण है और उस दशा में उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में ऐसी पतिलिपि प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) अपील का ज्ञापन स्वयं अपीलार्थी द्वारा अथवा अपीलार्थी द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे प्राधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावेगा ।